संख्या-2/2025/001-93-77-2025-77-2099/74/2024-2-I/877949/2025

प्रेषक,

निर्मेष कुमार शुक्ल,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
मुद्रण एवं लेखन सामग्री,
उ0प्र0 प्रयागराज।

औद्योगिक विकास अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 11 फरवरी, 2025

विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-8 के लेखाशीर्ष 4058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत अनुपूरक बजट प्राविधान की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-बी0एस0-323/बजट, दिनांक 10-12-2024 एवं पत्र संख्या-बी0एस0-329/बजट, दिनांक 27-01-2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-8 (मुद्रण एवं लेखन सामग्री) के लेखाशीर्ष-4058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय 103-सरकारी मुद्रणालय 03-सरकारी मुद्रणालयों में मशीने तथा उपकरणों एवं संयंत्रों का क्रय 26-मशीने और सज्जा/उपकरण और संयंत्र मद में रू0 07,00,00,000/- (रूपये सात करोड़ मात्र) एवं 06-राजकीय मुद्रणालय, लखनऊ 26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र में रू0 50,00,000/- (रूपये पचास लाख मात्र) अर्थात कुल अनुपूरक बजट प्राविधानित धनराशि रू0 07,50,00,000/- (रूपये सात करोड़ पचास लाख मात्र) की एतद्द्वारा आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैः-

<u>नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों</u>

(1) उक्त धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। नई मदों/अन्यन प्रयोजनों के कार्यान्वनयन के लिए नहीं किया जायेगा।

(2) उपर्युक्त धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-35/2024/बी-2-768/दस-2024-244/2024(II) दिनांक 27-12-2024 तथा अन्य संगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) यदि किसी व्यय के लिए शासन स्तर से वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति का प्रस्ताव शासन को संदर्भित किया जाय, तो संदर्भित व्यय के लिए आय-व्ययक में प्रावधानित धनराशि की उपलब्धता इंगित करते हुए लेखाशीर्ष का भी उल्लेख प्रस्ताव में अंकित किया जाय ।

(4) प्राविधानित धनराशि विभागाध्यक्ष के निर्वतन पर रखते हुए यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का प्रदेश (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार का व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

व्यय करने की पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा स्थाई आदेशों के अन्तर्गत संबंधित/सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी हो, उन मामलों में व्यय किये जाने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

(5) धनराशि का आहरण तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा।

(6) निर्वतन पर रखी गयी धनराशि का आहरण कर बैंक खातों में नहीं रखा जायेगा ।

(7) किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिए निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 प्रयागराज स्वयं उत्तरदायी होंगे ।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय (*1*) रुपये 7,00,00,000 (रुपये सात करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 008 **लेखा शीर्षक** 4058001030300 सरकारी मुद्रणालयों में मशीनें तथा उपकरणों एवं संयत्रों का क्रय **मानक मद** 26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र (*2*) रुपये 50,00,000 (रुपये पचास लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 008 **लेखा शीर्षक** 4058001030600 राजकीय मुद्रणालय, लखनऊ **मानक मद** 26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक- 04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(निर्मेष कुमार शुक्ल)
उप सचिव ।

nadesh

संख्या-2/2025/001-93-77-2025-77-2099/74/2024-2-I/877949/**2025**, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
3- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, प्रयागराज ।
5- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 प्रयागराज ।
6- कोषाधिकारी, प्रयागराज/लखनऊ ।
7- नोडल अधिकारी/उप सचिव, बजट एलाटमेंट सिस्टम, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग।
8- संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, प्रयागराज/लखनऊ ।
9- लेखाधिकारी, राजकीय मुद्रणाल, प्रयागराज/लखनऊ ।
10- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन ।
11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6, उ0प्र0 शासन ।
12- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
(निर्मेष कुमार शुक्ल)
उप सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।